न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-32/2019-20

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

श्री उमेश चन्द्र महतो बनाम श्री शंकर महतो

11/09/20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	श्री उमेश चन्द्र महतो पिता–सुरेश महतो, ग्राम–कांशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि।
क्रेता का नाम एवं पता –	श्री शंकर महतो पिता–स्व० आनन्द महतो, ग्राम–काशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–12/06/2019 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता श्री शंकर महतो पिता–स्व० आनन्द महतो, ग्राम–काशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गलऊ	सोनाहातु	67	208	945	0.36 ए०
					चौहद्दी उ०–महानन्द महतो। द०–मृत्युंजय महतो। पू०–साहेबराम महतो। प०–सोहन महतो वगैरह।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी,सोनाहातु का पत्रांक–291(ii) दिनांक–30/07/2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत धनीराम महतो वल्द लोहरा महतो के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता पंजी–II रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम सोमा महतो वल्द लोहरा महतो है। तथा रैयत के पास कुल रकबा–11.24 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2007–08 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा 1932 के सर्वे अनुसार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–10.88 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना एवं गाँव के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता श्री उमेश चन्द्र महतो पिता–सुरेश महतो, ग्राम–कांशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि, को क्रेता श्री शंकर महतो पिता–स्व० आनन्द महतो, ग्राम–काशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–01/07/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता श्री उमेश चन्द्र महतो पिता–सुरेश महतो, ग्राम–कांशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि, को क्रेता श्री शंकर महतो पिता–स्व० आनन्द महतो, ग्राम–काशीडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–कृषि, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गलऊ	सोनाहातु/67	208	945	0.36 ए० चौहद्दी उ०–महानन्द महतो। द०–मृत्युंजय महतो। पू०–साहेबराम महतो। प०–सोहन महतो वगैरह।

लेखापित एवं संशोधित।

8/11/09

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

8/11/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।